तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
30.7.24	वकील अप्रार्थी उपस्थित / P.O. साहब दीगर रोज कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दि0 6.8.24 को पेश हो।	
6.8.24	वकील अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 6.6.2022 से बहस जा0फौ0 7 R 11 CPC व दिनांक 7.7.23 से राजीनामा पेश करने हेतु लम्बित है। लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वकील अप्रार्थी बहस जा0फौ0 07 R 11 CPC हेतु समय चाहते रहे हैं। बहस ना कर लगभग एक वर्ष से राजीनामा पेश करने हेतु समय चाहते रहे हैं। इस बाबत न्यायालय हाजा द्वारा कई बार अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। वकील वादीगण को इतने अवसर दिये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किया जाना उनकी ओर से प्रकरण में आगे ~~नहीं~~ कार्यवाही नहीं किये जाने की उनकी मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अन्तर्गत वाद को सिद्ध करने / नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्ण दायित्व वादी का ही रहता है। हाजा प्रकरण में ना तो वादी एवं ना ही प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है। अतः ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के प्रावधानों के अंतर्गत दावा एवं का0उ0आर [illegible] प्रतिवादी संख्या 10 नॉट कन्टेस्टेड / [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील के फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	